न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 13/2014 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री प्रहलाद नारायण पुत्र श्री किस्तुर चन्द कट्टा विक्रेता एवं मालिक मैसर्स कट्टा प्रोविजन स्टोर, ओसवाल पेट्रोल पम्प के पास दौसा।
2. श्री नरेन्द्र कुमार मालिक मैसर्स अशोक एजेन्सीज, सुन्दर दास मार्ग, दौसा।
3. श्री गजानन्द पारवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद पारवाल डायरेक्टर मैसर्स माहेश्वरी टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, द्वितीय तल, अरिहन्त कॉम्पलेक्स, नाहरगढ रोड जयपुर।
4. श्री सुभाष पारवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद पारवाल, डायरेक्टर मैसर्स माहेश्वरी टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, द्वितीय तल, अरिहन्त कॉम्पलेक्स, नाहरगढ रोड जयपुर।
5. श्री गौरीशंकर पारवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद पारवाल, डायरेक्टर मैसर्स माहेश्वरी टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, द्वितीय तल, अरिहन्त कॉम्पलेक्स, नाहरगढ रोड जयपुर।
6. श्री महेश पारवाल पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम पारवाल डायरेक्टर मैसर्स माहेश्वरी टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, द्वितीय तल, अरिहन्त कॉम्पलेक्स, नाहरगढ रोड जयपुर।
7. श्री रोशन लाल पारवाल पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम पारवाल डायरेक्टर मैसर्स माहेश्वरी टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, द्वितीय तल, अरिहन्त कॉम्पलेक्स, नाहरगढ रोड जयपुर।
8. श्री नवीन पारवाल पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम पारवाल डायरेक्टर मैसर्स माहेश्वरी टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, द्वितीय तल, अरिहन्त कॉम्पलेक्स, नाहरगढ रोड जयपुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 स्वयं उपस्थित।
: श्री राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त 2 लगा0 8 उप0।

—: आदेश :— दिनांकः— 12.09.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 7.3.2014 को दोपहर बाद 03:05 बजे मैसर्स श्री कट्टा प्रोविजन स्टोर, ओसवाल पैट्रोल पम्प के पास, दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री प्रहलाद नारायण पुत्र श्री किस्तुर चन्द कट्टा उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में एक रैक में करीबन 20 पॉलीपैक (पैकिट) 500 ग्राम पैकिंग में पैक चाय (माहेश्वरी) आम जनता को बेचने हेतु रखी हुई थी, में मिलावट का शक होने पर इनमे से नमूने की जॉच हेतु 4 मूल पॉलीपैक चाय (माहेश्वरी) खरीदी। जिनकी कीमत 420 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

यह है कि चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा चाय (माहेश्वरी) के मूल पैकिटो पर चिपकाकर पैकिटो को अलग-अलग एक खाकी कागज में लपेटकर पैकिटो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी. -836 गोंद से चिपकाकर पैकिटों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटों को चार-चार जगह से चपडी से सील मोहर कर पैकिटों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड बन्द पैकिटों को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सीलबंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री अनिल कुमार शर्मा क0लि0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 10.03.2014 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि नमून के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 10.03.2014 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 11.03.2014 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ चाय (माहेश्वरी) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/235/एक्ट/2014/292 दिनांक 07.04.2014 डी.ओ व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ चाय (माहेश्वरी) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण सं0 2 लगायत 8 की बहस सुनी गई। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ चाय (माहेश्वरी) 500 ग्राम पॉली पैक फर्म अशोक एजेन्सीज, सुन्दरदास मार्ग, दौसा से बिल नम्बर ए-10770 दिनांक 18.02.2017 को क्रय की गई तथा मूल ही विक्रय की गई है। अतः हमें उक्त वाद से पृथक करने की कृपा करे। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं0 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रस्तुत परिवाद में 500 ग्राम पैकिंग माहेश्वरी चाय के चार पॉली पैक खरीद कर एफएसएल जांच करवाया जाना अंकित किया गया है। परन्तु फर्म कट्टा प्रोविजन स्टोर द्वारा जो बिल उपलब्ध करवाया गया है वो 250 ग्राम पैकिंग चाय की खरीद का उपलब्ध करवाया गया है तथा फर्म कट्टा प्रोविजन को 250 ग्राम पैकिंग चाय का ही विक्रय किया गया है। जो कि

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

बिल नम्बर 10818 दिनांक 19.02.2014 द्वारा प्रमाणित है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त परिवाद खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण सं0 3 लगायत 8 द्वारा निवेदन किया कि माहेश्वरी चाय 500 ग्राम के पाउच पर बैच नम्बर नियमानुसार प्रिन्ट करवाया जा रहा है। परन्तु रखरखाव अथवा लेबल पर से स्याही के मिट जाने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ को मिसब्राण्ड बताया गया है। अतः निवेदन है कि हमारे विरूद्ध उक्त परिवाद को खारिज फरमाये जाने की कृपा करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि खाद्य पदार्थ चाय (माहेश्वरी) 500 ग्राम का जो सैम्पल लिया गया था उस पर बैच नम्बर अंकित नहीं था। इस कारण से सैम्पल मिसब्राण्ड पाया गया है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/235/एक्ट/2014/292 दिनांक 07.04.2014 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ चाय (माहेश्वरी) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ चाय (माहेश्वरी) मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 लगायत 8 पर कुल 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 12.09.2018 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.09.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/10888-97
दिनांकः– 12.09.2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री प्रहलाद नारायण पुत्र श्री किस्तुर चन्द कट्टा विक्रेता एवं मालिक मैसर्स कट्टा प्रोविजन स्टोर, ओसवाल पेट्रोल पम्प के पास दौसा।
4. श्री नरेन्द्र कुमार मालिक मैसर्स अशोक एजेन्सीज, सुन्दर दास मार्ग, दौसा।
5. श्री गजानन्द पारवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद पारवाल डायरेक्टर मैसर्स माहेश्वरी टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, द्वितीय तल, अरिहन्त कॉम्पलेक्स, नाहरगढ रोड जयपुर।
6. श्री सुभाष पारवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद पारवाल, डायरेक्टर मैसर्स माहेश्वरी टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, द्वितीय तल, अरिहन्त कॉम्पलेक्स, नाहरगढ रोड जयपुर।
7. श्री गौरीशंकर पारवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद पारवाल, डायरेक्टर मैसर्स माहेश्वरी टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, द्वितीय तल, अरिहन्त कॉम्पलेक्स, नाहरगढ रोड जयपुर।
8. श्री महेश पारवाल पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम पारवाल डायरेक्टर मैसर्स माहेश्वरी टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, द्वितीय तल, अरिहन्त कॉम्पलेक्स, नाहरगढ रोड जयपुर।
9. श्री रोशन लाल पारवाल पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम पारवाल डायरेक्टर मैसर्स माहेश्वरी टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, द्वितीय तल, अरिहन्त कॉम्पलेक्स, नाहरगढ रोड जयपुर।
10. श्री नवीन पारवाल पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम पारवाल डायरेक्टर मैसर्स माहेश्वरी टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, द्वितीय तल, अरिहन्त कॉम्पलेक्स, नाहरगढ रोड जयपुर।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा